मै आदेश

**न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)**
**पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 43/2020 GCMS No. 2020/00101**
**दायरा तिथि : 07.09.2020**
**फैसला तिथि : 20.09.2022**
**प्रार्थीगण :–**

1. ऋषीराजसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंहजी जाति राजपुत निवासी जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
2. हर्षवर्धनसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंहजी जाति राजपुत निवासी जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**–:: आदेश ::–** **दिनांक 20.09.2022**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 38/4 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नंबर 38/6 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर मौके पर शांतिपुर्वक काबिज है। प्रार्थीगण की धारित की जा रही खातेदारी भूमि का तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो द्वारा मौका स्थिति के विपरित नक्शे में पहाडी पर तरमीम कर दी है। अतः नक्शे में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में धारित खातेदारी भूमि की जमाबंदी की प्रतियाँ, नकल खसरा नंबर 38/4 व 38/6 की प्रतियाँ पेश की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में पटवारी हल्का, बेडा व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प बेडा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट पर वकुलाय की बहस के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 02.03.2022 से तहसीलदार, बाली से इस आशय की रिपोर्ट तलब की गई कि प्रार्थीगण को वर्णित भूमि बेडा प्रथम के खसरा नंबर 38/6 तथा 38/4 कैसे प्राप्त हुई तथा नक्शे में त्रुटि कब हुई। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस की प्रति के अनुसार सेग्रीगेशन से पुर्व के नक्शो में भी खसरा नंबर 38/6 से सटता हुआ खसरा नंबर 38/4 न होकर बीच में गेप रखते हुये ऊपर की दिशा में तरमीम की हुई है। अतः नक्शे में तरमीम की त्रुटि कब हुई, तथा किस प्रकार की त्रुटि हुई, तथा वर्तमान शुद्धि के पश्चात् क्या स्थिति रहेगी। इस सबंध में स्पष्ट रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से तलब की गई। न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने मौका जांच करते हुये निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

1. यह हैं कि ग्राम बेडा प्रथम के नामान्तरकरण संख्या 694 स्वीकृति दिनांक 9.7.2003 नियमन आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, बाली के आदेश क्रमॉक/एफ./12(2) राज./2002/1434 दिनांक 05.12.2002 एवं 17.06.2003 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज हुआ। नामा.पुस्तक पर नजरी नक्शा अंकित नहीं उक्त नामा0 के जरिये 38 मी. रकबा 1.00 हैक्टर बारानी प्रथम रताराम पुत्र हीराजी कौम रेबारी सा. देह खातेदार दर्ज हुआ।
2. यह हैं कि ग्राम बेडा प्रथम के नामा0 संख्या 1429 स्वीकृत दिनांक 24.06.2013 द्वारा नियमन आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारीजी बाली के आदेश क्रमॉकःएफ.12(2) राज./नियमन/2013/486–487 दिनांक 16.02.2013 की पालना में खसरा नंबर 38/6 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा पोचाराम पुत्र रताराम कौम रेबारी सा. देह गैर खातेदार दर्ज हुआ। जिसका नजरी नक्शा नामान्तरकरण 1429 के पीछे पृष्ठ पर नजरी नक्शा दर्ज है।
3. यह हैं कि खसरा नंबर 38/6 नामा0के पीछे पुस्त पर नजरी नक्शा दर्ज अनुसार सेग्रीगेशन के दौरान् प्रार्थीगण की खरीद शुदा भूमि की तरमीम अशुद्ध दर्ज हुई है।
4. यह हैं कि पुस्त पर दर्ज नजरी नक्शा आयताकार है परन्तु नक्शा लट्ठा एव नक्शा शीट में 10 भुजाकार तरमीम हुई है। जो अशुद्ध है जिसकी मौका फर्द संलग्न पेश है।
5. यह हैं कि वर्तमान में प्रार्थीगण मौके अनुसार एवं रेकर्ड अनुसार दोनो में भिन्नता हैं। राजस्व नक्शा व सेग्रीगेशान से प्राप्त शीट नक्शा शीट में दोनो खसरा नम्बरो 38/4 व 38/6 की दस भुजाओ की आकृति में तरमीम हुई है जो अशुद्ध दर्ज हैं। तथा नियमन नामान्तरकरण के पीछे पृष्ठ पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार आकृति आयताकार में हैं।

अतः मौके पर प्रार्थीगण के काबिज अनुसार निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा दिनांक 08.08.2022 को तैयार मौका फर्द में वर्तमान में काबिज अनुसार नजरी नक्शा अनुसार तरमीम शुद्धि किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी

पेज लगातार........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 43/2020 GCMS No. 2020/00101**
**अनवान् ऋषीराजसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली**
**अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण की धारित खातेदारी भूमियो की नक्शे में तरमीम मौका स्थिति के विपरित की हुई है, जिसको राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत बतौर लैण्ड रिकार्ड आफिसर इस न्यायालय को अधिकार होने से तरमीम शुद्ध का आवेदन पत्र पेश किया गया है। जिस सबंध में तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः माफिक जांच रिपोर्ट मौका स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 38/6 एवं 38/4 को पास–पास आयताकार स्थिति में रखते हुये नक्शे में तरमीम शुद्धि के आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि बेडा प्रथम के खसरा नंबर 38/6 व 38/4 के मूल अतिक्रमी/ आवंटी न होकर खरिदकर्ता है। मूल अतिक्रमी/आवंटी रताराम पुत्र हीराजी कौम रेबारी को वर्ष 2002 में भूमि नियमन करते समय स्वीकृत नामा0करण संख्या 694 स्वीकृत दिनांक 09.07.2003 की पुस्त पर नजरी नक्शा भी नहीं बनाया है। तथा वर्ष 2013 में अतिक्रमी पोंचाराम पुत्र रताराम कौम रेबारी को नियमन की गई भूमि का नामा0करण संख्या 1429 की पुस्त पर नजरी नक्शा बनाया है, जिसमें खसरा नंबर 38 के नीचे गेप रखते हुये खसरा नंबर 38/6 दर्शाया गया है। इस प्रकार मूल रूप से अतिक्रमी जो कि रेबारी जाति के व्यक्ति थे, उनको भूमि नियमन करते समय नामान्तरकरण की पुस्त पर जो नजरी नक्शा बनाया गया, उसी के अनुसार नक्शा लट्ठा में भी तरमीम की गई है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खरीदकर्ता है, न कि मूल आवंटी जिससे धारा 131 व धारा 136 के तहत प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है। हस्तगत् प्रकरण में मूल अतिक्रमियो को जिस जगह पर भूमि नियमन की गई थी, नियमन के समय राजस्व कर्मियो द्वारा माफिक नियमन नक्शे में तरमीम की गई। अब प्रार्थीगण जो कि वर्णित भूमि के खरिदकर्ता है के द्वारा यह जाहिर करना कि नक्शे में तरमीम मौका स्थिति के विपरित है , दलील स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् नक्शे में तरमीम शृद्धि खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना )
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 20-9-22 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner